राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

कर्मांक:- मुख्य/ 2017/427

दिनांक:- 21/8/17

आदेश

मण्डल की 232वीं संचालक बैठक दिनांक 20.09.16 के विन्दु संख्या 232.4 पर लिए गए निर्णयानुसार सभाकृति आवासीय योजना, कोटपुल-ली में उपलब्ध अवशेष 50 स्वतंत्र आवासों को वर्ष 2014-15 की लागत स्थिर रखने हुए प्रतापावतुसार नियमानुसार खुली ब्रिकी योजनान्तर्गत नकद भुगतान पद्धति से निर्माण किये जाने की रस्तीकृती एवं द्वारा प्रदान की जाती है।

खुली ब्रिकी योजना के अन्तर्गत निर्माण किये जाने आवासों का विवरण:

<table>
<thead>
<tr>
<th>नं.</th>
<th>आयर्वर्ग</th>
<th>आवासों की संख्या</th>
<th>माप</th>
<th>निर्मिती दोषकल</th>
<th>आवासों के कर्मांक</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>MIG-A</td>
<td>09</td>
<td>8.00X16.00</td>
<td>56.25 व.भी.</td>
<td>1-A-13, 16, 18, 1-B-08, 09, 1-C-02, 03, 04, 1-D-06, 11 = 09</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>MIG-B</td>
<td>14</td>
<td>9.00X18.00</td>
<td>74.50 व.भी.</td>
<td>1-F-27, 3-D-08, 3-E-01, 05, 09, 3-F-04, 06, 12, 15, 16, 3-G-03, 09, 11, 12 =14</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>MIG-C</td>
<td>27</td>
<td>11.25X21.00</td>
<td>128.324 व.भी.</td>
<td>3-A-10, 3-B-02, 03, 04, 06, 12, 17, 22, 23, 26, 27, 3-C-01, 02, 04, 09, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 =27</td>
</tr>
</tbody>
</table>

कुल आवास 50

उक्त आवासों के निर्माणित शर्तों के आधार पर निर्माण किया जाना सुनिश्चित करें:-
1. पत्तें (आवासीय) आवंटन हेतु कोई भी परीक्षण आवेदक लम्बित नहीं है।
2. उक्त पत्तें (आवासी) के अंतर्गत स्वीकृत में कोई भी अंतर्गत खुली ब्रिकी योजना हेतु प्राप्त नहीं है।
3. इन पत्तों (आवासीय) का निर्माण उचित प्रकार – प्रस्ताव में कायम से किया जायेगा।
4. पत्तों (आवासीय) का निर्माण खुली ब्रिकी योजना के अंतर्गत किसी अन्य प्रकार से करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती यह सुनिश्चित कर ही निर्माण करें।
5. प्रस्तावित पत्तों (आवासीय) में किसी भी प्रकार का विवाद / न्यायिक विवाद लम्बित नहीं है एवं विविधता निरस्त किये गये है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि निर्माण हेतु प्रस्तावित पत्तों (आवासीय) बाबत किसी भी न्यायिक प्राधिकरण के सम्बंध इसमें से कोई भी पत्ता (आवास) किसी प्रकार से आरोपित रहने बाबत कोई आवासन / शाखा पत्र पेश नहीं किया गया है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

मुख्य सम्पादक प्रबन्धक

P.T.O.
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु वः

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सहायक सचिव/वित्तीय सलाहकार/ मुख्य अभियंता (मु), प्रथम/द्वितीय/विदेशी (विदे)/
   मुख्य समर्पण प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय अति, मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त दूर तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. आवासीय अभियंता खण्ड-प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रशिक्षण कर निर्देशित किया जाता
   है कि आवेदन की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड व तैयार करें।
8. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. प्रमाणी नागरिक सेवा केंद्र (ए) राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर।
10. लक्षित प्राप्ती।

सम्प्रदाय प्रबंधक (मु)